# बिहार विधान सभा

## द्वितीय सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

---

[कृषि विभाग - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग - नगर विकास एवं आवास विभाग - सहकारिता विभाग ].

**कुल अल्पसूचित प्रश्न 7**

---

## एग्रो स्टैक परियोजना अत्नर्गत वंचित किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना

*51 **श्रीमती शालिनी मिश्रा (15) (केसरिया):**

**कृषि विभाग :-**

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतालाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि एग्री स्टैक परियोजना अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री हेतु प्रधान सचिव कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को पत्रांक डी0वी0टी0(पी0एम0किसान)-100/2024-6572 द्वारा दिनांक 23.12.2025 को निदेश जारी की गई थी;

2. क्या यह बात सही है कि फार्मर रजिस्ट्री हेतु प्रथम चरण में 06.01.2026 से 09.01.2026 तक एवं द्वितीय चरण में 18.01.2026 से 21.01.2026 तक कार्यक्रम निर्धारित की गई;

3. क्या यह बात सही है कि राज्य 38 जिलों में 85,53,570 पी0एम0 किसान सम्मान के पंजीकृत लाभार्थी है,जिसमें मात्र अब तक 19.68 प्रतिशत लाभार्थी को एग्रो स्टैक परियोजना अत्नर्गत फार्मर रजिस्ट्री हो पाया है;

यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार एग्रो स्टैक परियोजना के अत्नर्गत वंचित किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने का विचार रखती है ? नहीं तो क्यों?

---

## केंद्र को अनुसंशा भेजना

*52 **श्री विजय कुमार खेमका (62) (पूर्णियाँ ):**

**कृषि विभाग** क्या मंत्री,कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
क्या यह बात सही है कि केंद्र प्रायोजित कृषि विपणन योजना(एएमआई) एवं उप योजना(आईएसएएम) अंतर्गत किसानों को गोदाम निर्माण तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु सब्सिडी जारी की जाती है, जिसका क्रियान्वयन 10 जून 2025 से बंद कर दिया गया है,जिससे किसानो को कठिनाई हो रही है ,
यदि हाँ , तो सरकार कबतक उक्त योजना का पुनर्संचालन हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

---

**दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करना ।**

*53 **श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (16) (कल्याणपुर):**

**कृषि विभाग :-**
क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य बीज एवं जैविक एजेंसी द्वारा जैविक प्रमाणन का कार्य बिहार सहित अन्य 8 राज्यों में किया जाता था, जिससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती थी;

2. क्या यह बात सही है कि सितम्बर 2025 में भारत सरकार की संस्था एपीडा द्वारा अनियमितता के आरोप में उक्त संस्था पर राज्य के बाहर प्रमाणीकरण पर रोक लगाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाये जाने के बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है,

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

---

**कचरे के ढेर का निस्तारण**

*54 **श्री राणा रणधीर (18) (मधुबन):**

**नगर विकास एवं आवास विभाग :-**
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 23.01.2026 को प्रकाशित ‘‘राजधानी पर वर्षों से 13 लाख टन पुराने कचरे का बोझ’’ शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः

1. क्या यह बात सही है कि बिहार के पटना, भागलपुर आदि शहरों में वर्षों से डंप पुराने कचरे का लंबे समय तक खुले में पड़े रहने के कारण जहरीली गैसों का उत्सर्जन, दुर्गंध, जल एवं भूमि प्रदूषण तथा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही है;

2. क्या यह बात सही है कि पटना इससे सर्वाधिक प्रभावित शहरों में है, जहाँ 13 लाख टन से अधिक पुराना कचरा जमा है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक कचरे के ढेरों को निस्तारण हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य आरंभ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?

---

## " पैक हाउस" का निर्माण

*55 **मो० कमरुल होदा (54) (किशनगंज):**

**कृषि विभाग :-**

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि एपीईडीए (एग्रीकल्चरल प्रोसैस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के विभिन्न राज्यों में अब तक कुल 203 " पैक हाउस" का निर्माण किया गया है, जिससे किसानों द्वारा उत्पादित किए जा रहे फल, सब्जी इत्यादि उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप निर्यात हेतु ग्रेडिंग, सॉर्टिग, प्री-कूलिंग, पैकेजिंग की जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है;
2. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के किसी भी जिला में अब तक एपीईडीए द्वारा मान्यता प्राप्त एक भी "पैक हाउस" का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे बिहार के किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,तो सरकार राज्य के प्रत्येक जिला में कबतक एपीईडीए द्वारा मान्यता प्राप्त "पैक हाउस" निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

---

## पैक्सों से PDS संचालन हेतु

*56 **श्री मिथिलेश तिवारी (99) (बैकुण्ठपुर):**

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-**

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायत के पैक्सों में PDS संचालन हेतु लाइसेंस निर्गत करने का प्रावधान किया गया है, परन्तु अभीतक अधिकांश पैक्स को PDS संचालन का लाइसेंस निर्गत नहीं किया है?
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा PDS का लाइसेंस निर्गत करने के बाद भी पैक्स के माध्यम से PDS का संचालन नहीं किया जा रहा है?
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी पैक्सों को PDS लाइसेंस निर्गत करते हुए PDS का संचालन सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है? हां तो कब तक? नहीं तो क्यों?

---

## उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री पर रोक लगाना

*57 **श्रीमती शालिनी मिश्रा (15) (केसरिया):**

**कृषि विभाग :-**

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में यारा, इण्डोरमा, सी0एफ0सी0एल0, एच0यू0आर0एल0,

बी0भी0एफ0सी0एल0,आर०सी०एफ०, इफको, आई0पी0एल0, एन0एफ0एल मैटिक्स, जी0एस0एफ0सी0, कृषकों, सी0आई0एल0,पी0पी0एल0 कंपनियों द्वारा यूरिया की आपूर्ति की जाती है;

2. क्या यह बात सही है कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा राज्य के थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरकों के साथ साथ अन्य उत्पादों जैसे जिंक, सल्फर, जाईम, नैनो युरिया, नैनो डी0एम0पी0, कैल्सियम, पैरीसाईट को टैग कर बिक्री किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक राशि व्यय करना पड़ रहा है;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कंपनियों द्वारा थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को यूरिया के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग कर बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?

---